

कार्यालय नगर परिषद् बैकुण्ठपुर, जिला-रीवा म.प्र.

क्रमांक / 87 / निविदा आमंत्रण / 2026

बैकुण्ठपुर, दिनांक 21.04.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत टेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि व लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	2026_UAD_502125_1	Mahindra Bolero Maxi Truck कम्पनी का चार पहिया चेचिस पर निर्मित 9 मीटर स्काई लिफ्ट वाहन का RTO पंजीयन बीमा आदि संबंधित निविदाकार को कराना होगा एवं वाहन नगर परिषद् कार्यालय में प्रदाय करना होगा	01 माह लागत रु0 1500000. 00	2000.00 एवं अमानत राशि 15000.00	21.04.2026 से 22.05.2026

नोट :- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन की वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

शर्त :-

1. निविदा के संबंध में आवश्यक जानकारी कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
2. धरोहर राशि ऑनलाईन मान्य की जावेगी।
3. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी ऑनलाईन निविदा निर्देशों एवं M0प्र0 शासन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा दो लिफाफा पद्धति अनुसार प्रस्तुत करना होगा। जिसमें एक लिफाफे में अमानत राशि (ऑनलाईन रसीद) एवं दूसरे लिफाफे में अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति रखनी होगी।
5. **OEM authorization Certificate By Chechis Manufacture.**
6. **Bidder Should Have WPS (Welding Procedure Specification Certificate.)**
7. **NSIC/DIC/DGCD of Govt. MP Or any State/Central Govt.** में पंजीयन संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
8. निर्माता को (1) आई.एस.ओ. 9001:2005 (क्यू.एम.ओ.) उच्च गुणवत्ता निर्धारण (2) आई.एस.ओ. 14001:2015 (ई.एम.एस.) प्रदूषण नियंत्रण मानक (3) आई.एस.ओ. 45001:2018 (ओ.एच.एस.ए.एस.) वाहन परिचालन जोखिम इत्यादि हेतु तीनों में प्रमाणित होना अनिवार्य है। सी.ई. सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. जीएमपी सर्टिफिकेट, आई.एस.ओ. 50001:2018
10. जीएसटी पंजीयन होना अनिवार्य है।
11. जीएसटी का भुगतान अलग से किया जावेगा। शासन नियमानुसार समस्त कटौती की जावेगी।
12. निकाय द्वारा कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
13. शासन के श्रम कानून का अनुपालन करने हेतु ई.पी.एफ. व ई.एस.आई.सी. में पंजीकृत की प्रस्तुति अनिवार्य है।
14. निविदा दाता संस्था एम.एस.एम.ई. में निर्माता कंपनी के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
15. निविदा दर समस्त करों एवं अन्य शुल्क जोड़कर प्रस्तुत करना होगा।
16. बंधन युक्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
17. अमानत राशि एवं अन्य दस्तावेज निविदादाता को विशेष वाहक अथवा रजिस्टर्ड डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 23.05.2026 शायं 05:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य है।
18. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निकाय के पास सुरक्षित रहेगा।
19. किसी भी शासकीय/अद्वशासकीय विभाग में ब्लैक लिस्टेड फर्म/कम्पनी अपात्र होगी।

श्रीमती मीना तीरथ गुप्ता
अध्यक्ष
नगर परिषद् बैकुण्ठपुर,
जिला-रीवा म.प्र.

श्रीमती निधि राजपूत
मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद् बैकुण्ठपुर,
जिला-रीवा म.प्र.

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियंता महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, जिला-रीवा (म.प्र.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा संभाग रीवा की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
5. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण जिला-रीवा की ओर सूचनार्थ।
6. अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद् बैकुण्ठपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. संपादक दैनिक जागरण हिन्दी समाचार पत्र रीवा में 01 दिवस प्रकाशन हेतु।
8. कार्यालय नगर परिषद् बैकुण्ठपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पानगी हेतु।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् बैकुण्ठपुर,
जिला - रीवा (म0प्र0)